

**न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बारां (राज.)**  
**पीठासीन अधिकारी श्री सुदर्शन सिंह तोमर (आर.ए.एस.)**



**प्रकरण संख्या :- 121/2018**

**बउनवान**

मुकेश उम्र 28 वर्ष पुत्र दल्ला जाति सहरिया निवासी आमली तहसील अटरू जिला बारां  
(अपीलांट)

**बनाम**

राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार, अटरू जिला बारां

(रेस्पोडेन्ट)

**अपील अन्तर्गत धारा 75 भू-राजस्व अधिनियम, 1956**

उपस्थित :- 1- श्री जितेन्द्र नागर अभिभाषक

(अपीलांट)

2- परोकार सरकार

(रेस्पोडेन्ट)

**निर्णय दिनांक 28.06.2019**

अपीलांट द्वारा जयें अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, अटरू के प्रकरण संख्या 76/2017 किस्म धारा 91 एल.आर.एक्ट मे पारित निर्णय दिनांक 27.11.2017 के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रस्तुत की गयी है। अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट को वाके ग्राम आमली की सरकारी भूमि किस्म बजंड सम्वत् 2074 में खसरा नम्बर 43/539 रकबा 0.50 हेक्टेयर भूमि पर फसल उड़द की बोकर अतिक्रमण करने पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर 1 माह (30 दिन) की सिविल कारावास की सजा एवं 250/- रुपये शास्ति से दण्डित किया है। जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील प्रस्तुत की गई।

इस पर अपील को दिनांक 31.08.2018 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, रेस्पोडेन्ट को जयें नोटिस तलब किया जाकर, अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली तलब की गई। अधीनस्थ न्यायालय से मूल पत्रावली प्राप्त होने पर बहस उभयपक्ष की सुनी गई।

अपीलांट अभिभाषक ने दौराने बहस व्यक्त किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं साक्ष्यों के प्रतिकूल होने से काबिल खारजा है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को बिना सुनवायी जवाब देही का अवसर दिये बिना स्वतंत्र साक्ष्य लिये पटवारी हल्का की मिथ्या रिपोर्ट के आधार पर अपीलांट की अनुपस्थिति में एक तरफा निर्णय पारित करने मे भारी भूल की है। अपीलांट का अतिक्रमित आराजी पर मौके पर कोई कब्जा नहीं है तथा अपीलांट की ओर कोई सरकारी तावान बकाया नहीं है। अपीलांट के खेत से लगवां खाली भूमि पड़ी हुई है, जिस पर अलीलांट ने फसल तैयार की है तथा फसल तैयार करना कोई अतिक्रमण की परिभाषा में नहीं आता है। अलीलांट ने कोई जानबूझकर अतिक्रमण नहीं किया है। अपीलांट के अधिक समय तक जेल में रहने से उसके चरित्र व परिवार पर बुरा प्रभाव पड़ेगा व अलीलांट के परिवार में एक मात्र प्रार्थी ही खेती करने वाला व्यक्ति है तथा वर्तमान में खेती का सीजन

प्रारम्भ हो चुका है, इसलिए अधिक समय तक जेल में रहने से कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा। अपीलांट को उक्त निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी तब हुई जब पुलिस तलाशने गांव में आयी। इसके बाद दिनांक 13.08.2018 को आवेदन पेश कर दिनांक 14.08.2018 को नकल निर्णय प्राप्त किया। अस्तु जानकारी से अपील अन्दर मियाद पेश कर, अपील स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त फरमाये जाने हेतु निवेदन किया गया।

इसके विपरीत पेशेकार सरकार द्वारा कथन किया गया कि अपीलांट द्वारा सरकारी भूमि किस्म बजंड पर फसल उडद की बोई जाकर अतिक्रमण किया है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी का नोटिस जारी किया जाकर तलब किया गया है। अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अपीलांट द्वारा गतवर्ष में भी इसी आराजी पर अतिक्रमण किया गया था। जिसे अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 79/2017 में पारित निर्णय की पालना में पटवारी हल्का द्वारा मौके से भौतिक रूप से बेदखल किया जाकर अतिक्रमण नहीं करने हेतु पाबन्द किया गया था। अपीलांट द्वारा पुनः सम्वत् 2074 में किया गया अतिक्रमण पश्चातवर्ती अतिक्रमी की श्रेणी में आता है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज फरमाये जाने हेतु निवेदन किया गया।

हमने उभयपक्षों के तर्कों का मनन किया एवं पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी का नोटिस जारी किया जाकर तलब किया गया और उसके अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर निर्णय पारित किया गया है। अपीलांट वक्त निर्णय अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार अटरू में अनुपस्थित रहा है। अपीलांट द्वारा विवादित आराजी से कब्जा छोडने बाबत पटवारी हल्का की रिपोर्ट अथवा शपथ पत्र भी अपील के साथ संलग्न नहीं किया गया है। अपीलांट पश्चातवर्ती अतिक्रमी होना पाया जाता है। हम पेशेकार सरकार के कथन से पूर्णतया सहमत हैं। अतः अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, अटरू द्वारा दिया गया आदेश विधिसंगत प्रतीत होने से यथावत रखा जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणाम स्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, अटरू द्वारा प्रकरण संख्या 76/2017 में अन्तर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट के तहत पारित निर्णय दिनांक 27.11.2017 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 28.06.2019 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

( सुदर्शन सिंह तोमर )  
अति० जिला कलक्टर,  
बारां